



भारतीय रिज़र्व बैंक

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

Reserve Bank of India

Rural Planning & Credit Department
Regional Office, Lucknow

लाइसेंस सं. ग्राआऋवि. एलके-14(डीसीसीबी)/2012

LICENSE No. RPCD. LK-14(DCCB)/2012

दिनांक: जनवरी 10, 2012

Dated: January 10, 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 कि धारा 56 (ओ) के साथ पढी जानेवाली धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मिर्जापुर जिसका प्रधान कार्यालय कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, मिर्जापुर-231001 में स्थित है, को एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार करने और उसे चालू रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है :


In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22(1) read with Section 56(o) of the Banking Regulation Act, 1949 **Zila Sahkari Bank Limited, Mirzapur** having its Head Office at Collectorate Compound, Mirzapur-231001, is hereby granted a license to continue and carry on banking business, subject to the following conditions:

(क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद तक ही सीमित होगा।

(a) The area of operation of the bank shall be confined only to the **Mirzapur and Sonbhadra districts of Uttar Pradesh.**


(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपना कारोबार शुरू करने के दिन / लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

(b) This license or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the day on which it commences business/date following the receipt thereof.



(एच.के.सोनी)
उप महाप्रबंधक





(H K Soni)
Deputy General Manager